भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1579

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन सर्किटों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

1579 श्री संजय सेठ:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पर्यटन सर्किटों की आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता का आकलन करने के लिए उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) प्रस्तावित पंचवर्षीय पर्यटन कार्य योजना (2026-2030) के अंतर्गत परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य और मापनीय परिणाम क्या हैं;

(ग) 2025 में दर्ज की गई विदेशी पर्यटकों की संख्या में हालिया वृद्धि को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी सर्किट परियोजनाओं में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या परियोजना निष्पादन, निवेश पर प्रतिफल और आगंतुक संतुष्टि का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी ढांचा मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय ने चिह्नित परिपथों के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना का विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की और देश में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत भौतिक रूप से पूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), इंदौर को सौंपा गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है और इसके तहत देश में 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने गंतव्य स्तर पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक उप-योजना के तहत भी 38 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता

(एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी योजना के तहत भी देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के व्यापक विकास और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और विपणन करने के प्राथमिक उद्देश्य से परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं देश में पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के विकास तथा अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करती हैं और ये कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन योजनाओं में स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी सहित पर्यटन विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। जहां स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निधियां अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं, वहीं एसएएससीआई योजना के अंतर्गत निधियां दीर्घकालिक ऋण के रूप में दी जाती हैं। इन परियोजनाओं और निर्मित परिसंपत्तियों का कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजना निष्पादन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है और उन्हें आगंतुकों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ संचालन और प्रबंधन (ओएंडएम) की व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

*****